छ.ग. अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम

स्वरोजगार हेतु लोक-निजी सहभागिता (Public-Private Partnership) प्रस्ताव आमंत्रण

पृष्ठभूमि :-

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का गठन सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2000 में लक्षित वर्ग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, सफाई कामगार, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक) के आर्थिक विकास उद्दयमिता हेतु ऋण उपलब्धता, एवं तकनीकी प्रशिक्षण की उद्देश्य पूर्ति हेतु हुआ था। निगम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग, छ.ग. शासन के अंतर्गत कार्यरत है। प्रारम्भ से अब तक निगम द्वारा संचालित 16 प्रशिक्षण केन्द्रों (11- अनुसूचित जनजाति, 5-अनु.जाति,) में लगभग 10,000 प्रशिक्षार्थियों को सफलता पूर्वक प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

कौशल विकास :-

छ.ग. शासन द्वारा राज्य के युवाओं को कौशल का अधिकार देकर सम्पूर्ण राज्य ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है, और विश्व में दक्षिण अफ्रीका के बाद दूसरा। कौशल के अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत 14 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के हर व्यक्ति को अपने कौशल उन्नयन का अधिकार है। छ.ग. शासन राज्य दूरस्थ एवं दुर्गम इलाकों में कौशल के विकास हेतु प्रतिबद्ध है। तत्संबंध में निगम राज्य के जिलों में पूर्व से स्थापित अपनी अधोसंरचना का अधिकतम उपयोग कौशल विकास हेतु करना चाहता है।

उद्देश्य :-

युवा स्व सहायता समूहों ''लक्षित वर्ग के युवाओं के कौशल विकास के साथ स्वरोजगार की सुनिश्चिता'' एवं उत्साहित सामग्री की विपणन व ब्राण्डिंग सुविधा की उपलब्धता का विस्तृत परियोजना प्रस्ताव।

संकल्पना :-

निगम पूर्व से अपने 16 प्रशिक्षण केन्द्र विभिन्न जिलों में संचालित कर रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न रोजगार उन्मूलक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस प्रयास को आगे

बढ़ाते हुये निगम अपने केन्द्रों में बेरोजगार व कम पढ़े लिखे युवाओं के लिये प्रशिक्षण पश्चात स्वरोजगार की सुनिश्चिता हेतु पहल करते हुये पैनल गठन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

विभिन्न संगठन अपने तकनीकी/वित्तीय प्रस्ताव प्रशिक्षण पश्चात स्वरोजगार की उपलब्धता के उद्देश्य हेतु निगम को प्रेषित कर सकते है। प्रशिक्षण पश्चात निगम ये अपेक्षा करता है किन्तु संगठन निगम द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागी बन प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार हेतु न्यूनतम 12 से 36 माह तक व्यवहारिक सहायता (handhold support) प्रदान करें।

ये सहायता प्रशिक्षण पश्चात प्रोजेक्ट निवेदन निर्माण, व्यवसायिक मानसिकता का विकास बाजार की उपलब्धता, ऋण सहायता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित होगी। आवश्यकता अनुसार चयनित संगठनों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तुलनात्मक अध्ययन हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना मापदण्डों/दिशानिर्देशों का उपयोग होगा। पृथक ट्रेडों व प्रतिस्पर्धा की मांग अनुसार प्रचलित ट्रेडों जैसे सोलर पम्प एवं सोलर पॉवर प्लांट स्थापना, कृषि डीजल एवं इलेक्ट्रिक पम्प, सेनेटरी नेपकिन, शहद उत्पादन, फर्नीचर निर्माण, शेडनेट निर्माण व नर्सरी, जैविक खेती, किचन गार्डन, टेरिस गार्डन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्य प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है केंद्र व छ.ग. शासन द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम के संचालन का प्रस्ताव दिया जा सकता है। हितग्राहियों को प्रशिक्षण के साथ-साथ उत्पादन प्रक्रिया के साथ जीवन्त कार्यानुभव दिया जाना है जिसकी न्यूनतम अवधि 12 माह से अधिकतम अवधि 36 माह होगी, जिसमें उत्पादन, विपणन, वितरण ब्राण्डिंग सम्मिलित होंगी। प्रशिक्षणोपरांत स्थापित उद्योगों, निर्मित सामग्री के विपणन व ब्राण्डिंग के लिए भी विस्तृत परियोजना प्रस्तुत किये जावे।

<u>प्रस्ताव प्रेषण हेतु आवश्यक दिशा निर्देशः-</u>

1. प्रस्ताव का संकेतात्मक प्रारूप निगम की वेबसाइट www.cgscaantyavasai.com से डाउनलोड किया जा सकता है, अथवा निगम मुख्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
2. प्रस्ताव दो प्रारूप में होंगें - तकनीकी वित्तीय
3. प्रशिक्षण पश्चात् शत्प्रतिशत रोजगार, स्वरोजगार की उपलब्धता अनिवार्य होगी
4. स्वरोजगार हेतु न्यूनतम 12 माह अधिकतम 36 माह की व्यवसायिक सहायता अनिवार्य होगी।

5. व्यवसायिक सहायता (handhold support) का सम्पूर्ण विवरण वित्तीय प्रस्ताव में करें (संकेतात्मक प्रारूप संलग्न- परिशिष्ट 'अ')
6. व्यवसायिक सहायता (handhold support) की लागत का विवरण वित्तीय प्रस्ताव में करें (संकेतात्मक प्रारूप संलग्न- परिशिष्ट 'ब')
7. तकनीकी वित्तीय प्रस्ताव पृथक लिफाफों में सील बंद कर एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर दिया जावे
8. अमानत राशि का ड्राफ्ट पृथक से दिया जा सकता है।
9. प्रशिक्षणोपरांत स्थापित उद्योग में निर्मित सामग्री के ब्राण्डिंग विपणन हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
10. प्रस्तावक संस्था का संबंधित उत्पाद के उत्पादन व विक्रयोंपरांत सेवा का अनुभव आवश्यक है।
11. प्रस्तावक संस्था का विगत 3 वर्षों में कुल 5 करोड़ रूपये से अधिक का टर्न ओवर होना चाहिये, इस हेतु 3 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट संलग्न की जावे।

<u>निगम की भूमिकाः</u>

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र व उनमें कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी क्षमतानुसार एवं अधोसंरचना की उपलब्धता अनुसार इस कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे, साथ ही सम्पूर्ण कार्यक्रम का अनुश्रवण व मूल्यांकन कर अपना प्रतिवेदन उपलब्ध करवाएगे, सम्पूर्ण प्रक्रिया में प्रबंध संचालक महोदय का निर्णय ऐसे संगठनो पर दाडिक कार्यवाही हेतु बाध्य होगा सम्पूर्ण कार्यक्रम में निगम की भूमिका नियंत्रक अनुश्रवक/मूल्यांकनकर्त्ता की होगी।

<u>चयन प्रक्रियाः</u>

वर्तमान प्रक्रिया सिर्फ प्रस्ताव आमंत्रण हेतु है। समय सीमा में प्राप्त प्रस्तावों का प्राथमिक स्तर पर चयन निगम द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा किया जावेगा। तकनीकी रूप से उपयुक्त प्रस्तावो के वित्तीय प्रस्तावों की समीक्षा की जावेगी। चयनित संस्थान को प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण में सफल होने के उपरांत कार्यक्रम की अवधि/मापदंड व अन्य नीति नियम निर्धारण के निर्माण के लिए अनुबंध वार्ता (Contract Negotiation) हेतु आमंत्रित किया जाएगा तत्पश्चात दोनों पक्ष आपसी सहमति से समझौता ज्ञापन (MoU Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर करेंगे।

<u>अमानत राशि :-</u>

प्रस्ताव प्रेषण हेतु इच्छुक एजेंसी की राशि रू. 20000/- का ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में निगम मुख्यालय में प्रस्ताव के साथ जमा करना होगा उक्त ड्राफ्ट ''मैनेजिंग डायरेक्टर, छत्तीसगढ़

राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम'' के पक्ष में जारी होगा यह राशि अचयनित संगठनों को 30 दिवस के भीतर वापस की जायेगी। उक्त राशि प्रस्तावों के चयन से एजेंसी द्वारा पूर्व वापसी/प्रस्ताव में गलत जानकारी देने के स्थिति में निगम द्वारा जप्त कर ली जायेगी।

<u>प्रस्ताव की भाषा :</u>

- इच्छुक एजेंसी अपने प्रस्ताव हिंदी/अंग्रेजी भाषा में प्रेषित कर सकते है
- प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 30.06.2018 सायं 4:00 बजे तक
- प्रस्ताव खोलने की तिथि 30/06/2018 सायं 4:30 बजे
- प्रस्ताव भेजने का पता - प्रस्ताव डाक द्वारा स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा दिया जा सकते है।

प्रति,

प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम
चतुर्थ तल, व्यवसायिक परिसर, हाऊसिंग बोर्ड भवन,
सेक्टर 27, नया रायपुर

<u>प्रस्ताव पर अस्वीकृति :</u>

प्राप्त प्रस्तावों को निम्न कारणों से अस्वीकृत किया जा सकेगा :

1. गलत/भ्रामक जानकारी देना
   अमानतराशि के ड्राफ्ट की अनुपस्थिति
2. किसी भी प्रकार से निगम के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को चयन हेतु प्रभावित करना।
3. सीधे कार्यालय में जमा प्रस्तावों पर कार्य विचार नहीं किया जावेगा।
4. सभी प्रस्ताव स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक या कोरियर सर्विस के माध्यम से ही जावें।
5. फर्म/संस्थान का न्यूनतम 3 वर्षों का कार्य अनुभव न होना।

- समय-सीमा के पश्चात किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- स्वीकृति/अस्वीकृति पर अंतिम निर्णय निगम के प्रबंध संचालक का होगा।

- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों की सुनवाई हेतु न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर होगा

<u>प्रस्ताव के साथ अनिवार्य रूप से निम्न दस्तावेजों को संलग्न करना होगा :</u>

1. फर्म/संस्थान के लेटरपैड पर अनुरोध पत्र
2. अमानत राशि का ड्राफ्ट
3. फर्म/संस्थान के पंजीकरण संबंधी दस्तावेज
4. फर्म/संस्थान का सम्पूर्ण विवरण (पता/संरचना/स्वामित्व)
5. फर्म/संस्थान का ऑडिट रिपोर्ट (पिछले 3 वर्ष की)
6. पूर्व में संपादित संबंधित कार्यों का विवरण/अनुभव प्रमाण-पत्र
7. प्रस्ताव के निष्पादन हेतु अपनाई जाने वाली कार्य शैली का विवरण

परिशिष्ट - अ

<u>तकनीकी प्रस्ताव का प्रारूप</u>

क्र.	प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित ट्रेड का नाम व कोड	छात्रों की संख्या	अवधि	सर्टिफिकेट प्रदायकर्ता एजेंसी	प्रशिक्षण स्थल (जिला/ तहसील/ ग्राम) नाम व संख्या	व्यवहारिक प्रशिक्षण का विवरण (Intership, भ्रमण आदि)
1	2	3	4	5	6	7

उपरोक्त प्रारूप के अलावा फर्म/संस्थान द्वारा न्यूनतम माह से अधिकतम 36 माह के handhold support का सम्पूर्ण विवरण इसी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना होगा

उपरोक्त प्रारूप के अलावा अन्य प्रस्ताव संबंधी जानकारी इसी प्रस्ताव के साथ दी जा सकती है।

परिशिष्ट – ब

वित्तीय प्रस्ताव का प्रारूप

प्रशिक्षण व handhold support हेतु

क्र.	कार्य विवरण	अवधि	मात्रा	राशि अंकों में	राशि शब्दों में
1	प्रशिक्षण कार्यक्रम				
2	handhold support				